

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1903]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2015/भाद्र 16, 1937

No. 1903]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2015/BHADRA 16, 1937

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

**का.आ. 2438(अ).**—यतः, मै. गुजरात हीरा बोर्स, जो गुजरात राज्य का एक पूर्णतः निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में इच्छापुर, सूरता में रत्न एवं आभूषण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 1185(अ) दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 73.87.97 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. गुजरात हीरा बोर्स ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 73.87.97 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके दिनांक 24 फरवरी, 2015 के पत्र सं. आई.सी/इन्फ्रा/एसईजेड-सैल/1045774 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 73.87.97 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/10/2004-ईपीजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

**S.O. 2438(E).**—Whereas, M/s. Gujarat Hira Bourse, a fully private organization of the State of Gujarat, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Gems and Jewellery at Ichhapor, Surat, in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 73.87.97 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1185(E) dated 20<sup>th</sup> July, 2007;

And, whereas, M/s. Gujarat Hira Bourse has proposed to de-notify the entire area of 73.87.97 hectares of the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Gujarat has given its “No Objection” to the proposal vide letter no. IC/Infra/SEZ-Cell/1045774 dated 24<sup>th</sup> February, 2015.

And, whereas, the Development Commissioner, Falta Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 73.87.97 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/10/2004-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.